प्रेषक,

प्रबन्ध निदेशक,,
यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,
32—स्टेशन रोड, लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल सघ,
राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ

पत्रांक: पीसीएफ / ले0ची0 / 2013—14 / दिनांक: जून, 2013

विषय :— सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह जून, 2013 में उठान हेतु चीनी का आबण्टन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: 42 / यू0सी0एफ0 / ची0वि0 / पी0डी0एस0 / 2013—14 दिनांक: 10—06—2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहकारी चीनी मिलों में दिनांक: 31—05—3013 को उपलब्ध स्टाक के आधार पर माह जून, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक मिलवार / जनपदवार संशोधित प्रस्ताव प्रषित करने तथा माह जून, 2013 हेतु चीनी के आबण्टन को तद्नुसार संशोधित कराने की अपेक्षा की गयी है।

2— उपर्युक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि आप द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये मिलवार विवरणानुसार सहकारी चीनी मिल संघ की अधीनस्थ सम्बन्धित 22 चीनी मिलों में उत्पादन वर्ष 2012—13 के अन्तर्गत 3,64,452.3 मै0टन एम0—30 ड्राई फ्रेश चीनी सम्भार उपलब्ध है, जो प्रदेश हेतु निर्धारित 33013.0 मै0टन चीनी के मासिक स्टेण्डर्ड आबण्टन की आवश्यकता पूर्ति हेतु माह दिसम्बर, 2013 तक की अवधि के लिये पर्याप्त होगी।

3— उल्लेखनीय है कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, के पत्रांक: 1914 / मु0वि0अ0 / लेवीचीनी (पत्राचार) दिनांक: 07 जून, 2013 द्वारा माह जून, 2013 (वितरण माह जुलाई, 2013) हेतु प्रसारित चीनी के मिलवार / जनपदवार आबण्टन को संशोधित द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार चीनी की उपलब्धता हेतु अत्यन्त कम समय रह जाने के कारण, इस माह हेतु निर्धारित चीनी के आबण्टन में किसी प्रकार का संशोधन सम्भव नहीं है। आगामी माहों हेतु चीनी का मिलवार / जनपदवार आबण्टन का प्रस्ताव आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 को प्रेषित करते समय आपके अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों से विचार विमर्श करने के उपरान्त ही प्रेषित किया जायेगा।

4— यहाँ यह उल्लेख भी प्रासंगिक है कि विभिन्न 18 जनपदों में स्थित 22 चीनी मिलों में उत्पादन वर्ष 2012—13 के सापेक्ष उपलब्ध एम0—30 ड्राई फ्रेश चीनी सम्भार तथा प्रदेश के जनपदों हेतु आगामी दिसम्बर, 2013 तक चीनी की आवश्यकता के आलोक में आयुक्त, खाद्य से हुये विचार विमर्श के उपरान्त यह मत स्थिर हुआ था कि इस श्रेणी की चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण हेतु आरक्षित करना नितान्त आवश्यक होगा, ताकि प्रदेश के बी0पी0एल0 / अन्त्योदय लाभार्थियों को अच्छी गुणवत्ता की चीनी उपलब्ध करायी जा सके।

5— इस कार्यालय के पत्रांक: पीसीएफ / ले0ची0 / 5903—907 दिनांक: 10 जून, 2013 द्वारा सम्बन्धित चीनी मिलों से चीनी के क्रय हेतु क्रय दरें सूचित करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिनके अभी तक प्राप्त नहीं होने के कारण चीनी का उठान प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, द्वारा प्रसारित मिलवार / जनपदवार आबण्टन आदेश दिनांक: 07—06—2013 के अनुरूप चीनी का परिदान पी0सी0एफ0 को करने हेतु अधीनस्थ चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धकों को निर्देशित करते हुये चीनी की क्रय दरें भी अवलिम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अग्रेत्तर अनुरोध है कि कृपया चीनी मिलों में उत्पादन वर्ष 2012—13 के सापेक्ष अवशेष एम0—30 ड्राई फ्रेश चीनी सम्भार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आरक्षित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

747
11.6.13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग,, उ0प0 शासन, लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद अनुभाग-7, उ0प0 शासन, लखनऊ।
3- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
4- आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0,जवाहर भवन, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक